

प्रारूप-6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 13.08.2018 को निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत के द्वारा 0.00से 2.00 तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री चतुर सिंह बिष्ट., वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री विपिन चन्द्र मठपाल., राजस्व उप निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री खजान सिंह रावत, अपर सहायक अभियन्ता अन्य दावेदारों की ओर से कोई नहीं तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री गोविन्द सिंह.....के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उरागें 4950 (मी0) नाप भूमि से, सिविल भूमि 150 (मी0), वन पंचायत 900 (मी0) प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 4.455 हे0 नाप भूमि, सिविल भूमि 0.135 हे0, वन पंचायत भूमि 0.810 हे0 जिनमें कुल 0.945 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 45 वृक्ष इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त समरेखण नाप भूमि, सिविल सोयम भूमि एवं वन पंचायत भूमि से गुजरेगा। नाप भूमि में शून्य वृक्ष प्रभावित होते हैं एवं वन पंचायत भूमि पर 45 वृक्ष प्रभावित होते हैं। इस प्रकार कुल 45 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 29° 44' 16.62" N 79° 17' 33.20" E तथा यह स्थल समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 29° 44' 32.51" N 79° 16' 31.34" E है।

चयनित समरेखन में कुल 15 पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा। इस समरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलुवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण मोटर मार्ग बनाने में समायोजित किया जायेगा।

(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि

(वन विभाग)
प्रतिनिधि

(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि